पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2017-18)-टैक्स आडिट// 118 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(निरीक्षण-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 03 ~~अप्रैल~~ मई, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र सं0-ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु0-03 /स0प0 /13-14 /टैक्स आडिट /3412/ वाणिज्य कर, दिनांक 25-03-2015, कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1415132, दिनांक 25-03-2015 के क्रम में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 की धारा-44 तथा वैट नियमावली के नियम-43 में नक्शों की शुद्धता का परीक्षण एवं आई0टी0सी0 आदि की सत्यता की जांच करने के उद्देश्य से टैक्स आडिट का प्राविधान किया गया है। टैक्स आडिट हेतु वर्ष 2015-16 के व्यापारियों का चयन निर्धारित मानक के आधार पर साफ्टवेयर तैयार कराया गया है।

S.No.	Parameters
1	Frequency of return gap in a financial year
2	Challan amount equal zero
3	Tax Turnover ratio less than 0.5%
4	Rise in Tax/Rise in sale
5	Change in pattern of Tax invoice Purchases made
6	Change in the pattern of purchases made from the unregistered dealer
7	Change in the Range of turnover
8	Change in the sale pattern of the dealer
9	Turnover of Purchases through Form 38
10	Comparative E Sancharan increase
11	Concessional Sale/Ex UP Purchase
12	Form F to total sale
13	Tax Paid/Admitted tax

2- टैक्स आडिट हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर ही साफ्टवेयर द्वारा दिये गये अंक (स्कोर) के आधार पर चयनित व्यापारियों के सम्बन्ध में ज्वा0कमि0 (टैक्स आडिट) के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(i) सर्वप्रथम विभागीय बेवसाइट htt;//comtax.up.nic.in में Departmental services में MIS Report पर उपलब्ध Officer Login For MIS Report पर क्लिक किया जायेगा।

(ii) ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने सम्भाग का चयन Drop down से किया जायेगा।

(iii) अब ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।

(iv) इसके पश्चात Menu पर उपलब्ध Tax Audit बटन पर क्लिक किया जायेगा।

(v) लॉग इन के पश्चात सम्भाग से सम्बन्धित खण्ड कार्यालयों की पृथक-पृथक अथवा समेकित रिपोर्ट डाउन लोड की जा सकती है।

(vi) माड्यूल में यह व्यवस्था कर दी गई है कि उक्त मानकों के आधार पर स्वत: ही टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(ii) में वांछित व्यापारियों का चयन होकर सूची उपलब्ध हो जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों की प्राप्त सूची में से निम्न श्रेणियों के व्यापारियों को छोड़कर शेष के सम्बन्ध में टैक्स आडिट किये जाने की अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

1- पेट्रोल पम्प संचालक व्यापारी।

2- हकदारी प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष भी चयन टैक्स आडिट हेतु हुआ है।

3- करमुक्त वस्तु की खरीद करके, करमुक्त वस्तु की बिक्री।

4- व्यापारियों के चयन में निम्न बिन्दु का भी विचारण किया जायेगा।

(i) टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-1 में यह उल्लिखित है कि जोन के रु0-05 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के समस्त व्यापारी, जोन के कारपोरेट सेल के समस्त व्यापारी, टैक्स आडिट के प्रयोजनार्थ कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा संवेदनशील घोषित वस्तुओं के व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0-02 करोड़ से अधिक है, एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले निर्माता इकाईयो से सम्बन्धित व्यापारी के वादों में से टैक्स आडिट हेतु चयन किया जायेगा। अतः संगत वर्ष के लिए टैक्स आडिट हेतु वादों के चयन में सामान्यतया उक्त मौद्रिक सीमा का ध्यान रखा जाये।

(ii) हकदारी प्रमाण पत्र धारक समस्त व्यापारियों का चयन टैक्स आडिट हेतु किया जायेगा।

5- कार्य हित में यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त अवधारित प्रक्रिया के अनुसार माह मई- 2017 से माह दिसम्बर-2017 तक कुल चयनित व्यापारियों का प्रति माह 10 प्रतिशत वादों का टैक्स आडिट तथा माह जनवरी-2018 में 20 प्रतिशत वादों का टैक्स आडिट किया जाना सुनिश्चित करते हुए समस्त वादों का टैक्स आडिट का कार्य प्रत्येक दशा में माह जनवरी-2018 तक पूर्ण किया जाये।

6- यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों को, उनका चयन वर्ष-2015-16 के टैक्स आडिट हेतु किये जाने विषयक सूचना, दिनांक 31-05-2017 से पूर्व संबधित कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से तामील कराते हुए इस सम्बन्ध में टैक्स आडिट मैनुअल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाये। यदि ज्वाइण्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) द्वारा निर्गत नोटिस में नियत तिथि पर व्यापारी उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे व्यापारी के विरुद्ध वि0अनु0शा0 जॉच करने की संस्तुति सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को की जायेगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2/05/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश, शासन।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ प्रेषित।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार व्यापारियों का चयन कर समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की बेवसाइट पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

02/05/17

(सुनील कुमार धवन)
डिप्टी कमिश्नर (निरीक्षण) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।